न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिल

मिसल नं. 2/260/2021 तारीख

प्रेमचन्द बनाम सन्नी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07.12.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ-पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अंवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 119; वाके ग्राम दारौदा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथांस्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 24.12.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 24.12.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
24/1/22	वकील प्रार्थी उपस्थित [illegible] आदेश दिनांक [illegible] पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 28/4/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
28.4.22	वकील प्रार्थी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 10/6/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/12	मिसल पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। P.O साहब अवकाश पर पत्रावली दिनांक 14/8/22 को पेश हो।	
/8/12	बजुबाव [illegible] P.O. साहब [illegible] पत्रावली दिनांक 7/10/22 को पेश हो।	
/10/22	[illegible] उपस्थित [illegible] दिनांक [illegible] तलबी दिनांक 7/12/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (अलवर)	
/22	बजुबाव [illegible] P.O. साहब अवकाश पर पत्रावली दिनांक 10/2/23 को पेश हो।	
10/2/23	वकील प्रार्थी अनुपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा तलबी खर्चा हेतु आज दिनांक तक तलबाना पेश नहीं किया गया है इस बाबत् प्रार्थी वकील को पूर्व में कोई अवसर दिये जा चुके है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी तलबाना के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल [illegible] SDO उपखण्ड अधिकारी [illegible] (अलवर) राज०	